सं.ए-50020/12/2023-स्था
भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन नई दिल्ली
दिनांक: 5.08.2026

विज्ञापन

विषय: उपभोक्ता मामले विभाग में अनुबंध के आधार पर युवा पेशेवरों की नियुक्ति।

उपभोक्ता मामले विभाग, कार्यालय में पूर्णकालिक आधार पर स्वयं उपस्थित रहने और काम करने तथा लागत निर्धारण के क्षेत्र में और इस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं तथा उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित समय-समय पर सौंपे गए अन्य कार्य क्षेत्रों में तकनीकी, अनुसंधान और विश्लेषणात्मक इनपुट प्रदान करने के लिए अनुबंध के आधार पर **युवा पेशेवरों (वाईपी)** को नियुक्त करना चाहता है।

2. विवरण निम्नानुसार है:

पद का नाम	रिक्तियों की संख्या	आवश्यक अर्हताएं, अनुभव और कौशल	नौकरी का विवरण
युवा पेशेवर (लागत सेल)	02	अर्हताएं: चार्टर्ड अकाउंटेंट (इंटरमीडिएट)/कॉस्ट अकाउंटेंट(इंटरमीडिएट)/एमबीए (वित्त) के साथ वाणिज्य में स्नातक की डिग्री। उम्मीदवारों को एमएस ऑफिस एक्सेल और वर्ड का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अनुभव: लेखांकन/लेखापरीक्षा/लागत निर्धारण के क्षेत्र में कम से कम एक वर्ष का योग्यता-प्राप्त अनुभव। आर्टिकलशिप, व्यावहारिक प्रशिक्षण आदि की गणना अनुभव के रूप में नहीं की जाएगी। संबंधित क्षेत्र में अनुभव और वर्षों के अनुभव वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।	1. एजेंसियों द्वारा खरीदी/आयातित वस्तुओं पर लाभ/हानि के दावों के दस्तावेज़ सत्यापन और जांच के लिए रिपोर्ट तैयार करना 2. वस्तुओं की हस्तांतरण लागत की गणना करना। 3. वार्षिक खातों की जांच के लिए दस्तावेज़ सत्यापन करना। 4. सेना को आपूर्ति की जाने वाली दालों की दरों के निर्धारण और घोषणा पर काम करना। 5. निधि प्रवाह विवरण का विश्लेषण करना। 6. लागत सेल को भेजे गए विभिन्न प्रस्तावों का विश्लेषण करना।

3. सभी पदों के लिए सामान्य शर्तें:

अनुबंध की अवधि	प्रारंभ में इसे 1 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया है, जिसे 3 फरवरी, 2022 के उपभोक्ता मामले विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है।
भर्ती की प्रक्रिया	अनुबंध आधारित, ओपन मार्केट के माध्यम से।

आयु सीमा	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को आयु 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
प्रति माह पारिश्रमिक	प्रारंभिक समेकित राशि 40,000/- रुपये प्रति माह।
पोस्टिंग का स्थान	नई दिल्ली

4. अन्य नियम और शर्तें निम्नानुसार है:

क. **अनुबंध की अवधि:** उपभोक्ता मामले विभाग में नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। 3 फरवरी, 2022 को जारी उपभोक्ता मामले विभाग के दिशानिर्देशों में उल्लिखित कारकों के अधीन, इस नियुक्ति को एक बार में एक वर्ष के लिए, 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

ख. **अवकाश:** प्रति वर्ष 8 दिन का अवकाश आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा।

ग. **स्रोत पर कर कटौती:** नियमों के अनुसार लागू टीडीएस मासिक पारिश्रमिक से काटा जाएगा। मांग किए जाने पर संबंधित डीडीओ द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

घ. **भत्ते:** कार्यभार ग्रहण करने या उसके पूरा होने पर कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। युवा पेशेवरों को कोई अन्य सुविधाएँ जैसे कि महंगाई भत्ता, आवास, फ़ोन/वाहन/परिवहन के लिए प्रतिपूर्ति, विदेश यात्रा, निजी स्टाफ, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, सीजीएचएस आदि स्वीकार्य नहीं होंगी। वरिष्ठ युवा पेशेवरों/युवा पेशेवरों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन आधिकारिक उद्देश्यों के लिए घरेलू दौरे करने की आवश्यकता हो सकती है। उन्हें हवाई यात्रा के लिए इकोनॉमी क्लास या रेल द्वारा एसी टू टियर में यात्रा करने की अनुमति होगी। होटल में ठहरने का खर्च ₹2250/- प्रतिदिन तक, शहर के भीतर यात्रा के लिए ₹338/- प्रतिदिन तक का टैक्सी शुल्क और भोजन का बिल ₹900/- प्रतिदिन से अधिक नहीं होगा। पर्यटन से संबंधित मामलों और पर्यटन से संबंधित प्रतिपूर्ति का निपटान संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

ङ. **शिफ्टिंग और स्थानांतरण:** चूँकि ये पद अस्थायी और पूर्णतः संविदात्मक हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में किसी भी उम्मीदवार के वाईपी श्रेणी-I से सीनियर वाईपी में जाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता मामले विभाग और वाईपी श्रेणी-I में पहले से कार्यरत वाईपी सीनियर वाईपी के लिए आवेदन कर सकते हैं और उपयुक्त पाए जाने पर उन्हें सीनियर वाईपी के रूप में चुना जा सकता है। वाईपी का उस प्रभाग/अनुभाग से, जिसके लिए उनका चयन हुआ था, किसी अन्य प्रभाग/अनुभाग में स्थानांतरण भी स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, असाधारण स्थिति में, यदि सचिव (उ.मा.) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो प्रभाग/अनुभाग बदला जा सकता है।

च. **पारिश्रमिक में वृद्धि:** यदि वरिष्ठ युवा पेशेवरों/युवा पेशेवरों की नियुक्ति बढ़ाई जाती है, तो पारिश्रमिक में 5000/- रुपये प्रति वर्ष की वृद्धि की जाएगी। पारिश्रमिक में वृद्धि संबंधित प्रभाग की सिफारिश के बाद वर्ष के दौरान युवा पेशेवर के प्रदर्शन पर आधारित होगी, जो आईएफडी की सहमति और सचिव (उ.मा.) के अनुमोदन के अधीन होगी।

छ. **अनुबंध की समाप्ति:** यह नियुक्ति पूर्णतः संविदात्मक है और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एक महीने का नोटिस देकर वरिष्ठ युवा पेशेवरों/युवा पेशेवरों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। हालाँकि, उपभोक्ता मामले विभाग किसी भी युवा पेशेवर की नियुक्ति को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, अनुबंध के प्रावधानों/नियुक्ति की शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, उपभोक्ता मामले विभाग किसी भी युवा पेशेवर की नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर सकता है। यदि किसी युवा पेशेवर की नियुक्ति अवधि नहीं बढ़ाई जाती है, तो उसकी नियुक्ति कार्यकाल की समाप्ति पर समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे मामलों में जहाँ उपभोक्ता मामले विभाग बिना पूर्व सूचना दिए युवा पेशेवर की नियुक्ति समाप्त करता है, युवा पेशेवर को सूचना के बदले आनुपातिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

5. **आवेदन कैसे करें:** इच्छुक उम्मीदवार **(केवल भारतीय नागरिक)** केवल [URL: https://jagograhakjago.gov.in/vacancy.] पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार **22 अगस्त, 2026 से 5 सितंबर, 2026 (शाम 5.30 बजे तक)** तक आवेदन कर सकते हैं। पूरी जानकारी के बिना आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और उन पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

6. सीनियर वाईपी/वाईपी की नियुक्ति के लिए सभी नियम और शर्तें उपभोक्ता मामले विभाग (उ.मा.) में युवा पेशेवरों (वाईपी) की नियुक्ति के लिए दिनांक 03.02.2022 के दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू होंगी। उपभोक्ता मामले विभाग बिना किसी सूचना के आवश्यकतानुसार रिक्तियों को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बाल कृष्ण ठाकुर)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधितों के बीच इस परिपत्र का व्यापक प्रचार करें।
2. एनआईसी सेल, उपभोक्ता मामले विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे इस विज्ञापन को इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. उपभोक्ता मामले विभाग के सभी अनुभाग।